न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **323/2021** दायर दिनाँक **08.12.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनारायण पुत्र बनाराम उम्र 41 वर्ष 2. सुरेश पुत्र बनाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 जरिये खास मुख्त्यार।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **06.06.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 321 रकबा 35 बीघा, खसरा सं0 322 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा वाकै सरहद कलवाणी में अवस्थित है। जिनके नये खसरा सं0 418 व 419 दर्ज हुए है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त खसरा भूमियों पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा वादीगण द्वारा जिल व्यक्तियों से खरीद गई है, उनके पिता व दादा का रहा है व सन 2004 के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि में से वादी सं0 01 द्वारा खसरा सं0 321 रकबा 35 बीघा जिसके नये खसरा सं0 418 में से 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय की गई व खसरा सं0 322 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 419 में से 08 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी सं0 2 द्वारा क्रय की गई । जिनके इकरारनामा बैचाण वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण उक्त खसरा नम्बरान की भूमि कस्टोडियन के नाम से दर्ज हो गई। जिससे वादीगण द्वारा खरीद सुदा जायगा की हाल ही में अपने नाम नामान्तरण करवाने की कोशिश की तो पता चला कि उक्त जायगा कस्टोडियन के नाम दर्ज है। जबकि उक्त जायगा पर हमेशा से कब्जा काश्त विक्रेता व उसके दादा पिता का रहा है व उनके खरीद करने के पश्चात वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। नामान्तरण नही होने के कारण वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गए है व राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत खातेदारी की आड़ में वादीगण को बेदखल किया जा सकता है। इसलिए उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी किया जाना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार हैः—

यह है कि वाकै सरहद कलवाणी के खेत खसरा सं0 321 रकबा 35 बीघा जिसके नये खसरा सं0 418 में से 08 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 01 रामनारायण व खसरा सं0 322 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 419 में से 08 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 02 सुरेश के नाम घोषित जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली [illegible] उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्संबन्धी विधि का अध्ययन किया गया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै वाकै सरहद कलवाणी के खेत खसरा सं0 321 रकबा 35 बीघा जिसके नये खसरा सं0 418 में से 08 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 01 रामनारायण व खसरा सं0 322 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 419 में से 08 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 02 सुरेश के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 323/2021 दायर दिनाँक 08.12.2021

वादी

1. रामनारायण पुत्र बनाराम उम्र 41 वर्ष
2. सुरेश पुत्र बनाराम समस्त जाति जाट निवासी कलवाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 जरिये खास मुख्त्यार।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 06.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके वाके सरहद कलवाणी के खेत खसरा सं0 321 रकबा 35 बीघा जिसके नये खसरा सं0 418 में से 08 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 01 रामनारायण व खसरा सं0 322 रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा सं0 419 में से 08 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी वादी सं0 02 सुरेश के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:30:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner